जे. वी. गुप्ता, जे.

सरस्वती और अन्य- **याचिकाकर्ता।**

बनाम

हजारी लाल और अन्य- **प्रतिवादी।**

1988 का नागरिक संशोधन संख्या 1827

8 अगस्त, 1989

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का V) O 22 R 4 (पंजाब सरकार द्वारा संशोधित) - सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की मृत्यु - अपने कानूनी प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन - ऐसे आवेदन को समय से वर्जित मानकर खारिज करना - ऐसे आदेश का औचित्य।

अभिनिर्णित किया गया कि पंजाब सरकार गजट, 11 अप्रैल, 1975, भाग ॥ के तहत आदेश 22, नियम 4, सीपीसी में इस न्यायालय के संशोधन के मद्देनजर मृतक प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने की कोई सीमा नहीं थी। जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कानून द्वारा सीमित समय के भीतर, उप-नियम (1) के तहत कोई आवेदन नहीं किया जाता है, तो मृतक प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा समाप्त नहीं होगा और मृत्यु के बावजूद फैसला सुनाया जाएगा और वही होगा। बल और प्रभाव ऐसे जैसे कि मृत्यु होने से पहले इसका उच्चारण किया गया हो। ऐसा होने पर, कटौती का सवाल ही नहीं उठता और कानूनी प्रतिनिधि किसी भी समय रिकॉर्ड पर लाने के हकदार थे। (पैरा 2)

श्री जगदेव सिंह, एचसीएस, सब जज तृतीय क्लास, हिसार की अदालत के दिनांक 14 जून, 1988 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए सीपीसी की धारा 115 के तहत याचिका को एल.आर. को पक्षकार बनाने के लिए प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया। दावा: घोषणा के लिए मुकदमा।

पुनरीक्षण में दावा: निचली अदालत के आदेश को पलटने के लिए।

याचिकाकर्ताओं के वकील राकेश कुमार जैन।

प्रतिवादियों की ओर से अजय लांबा, अधिवक्ता।

निर्णय

जे. वी. गुप्ता, जे.

(1) यह पुनरीक्षण याचिका ट्रायल कोर्ट के 14 जून 1988 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत मृत भाल सिंह प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से दायर आवेदन को समय से बाधित के रूप में खारिज कर दिया गया है।

(2) यह अब विवादित नहीं है कि पंजाब सरकार के गजट के तहत इस न्यायालय के आदेश 22, नियम 4, सीपीसी में संशोधन के मद्देनजर मृतक प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने की कोई सीमा नहीं थी। 11 अप्रैल, 1975, भाग II, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कानून द्वारा सीमित समय के भीतर, उप-नियम (1) के तहत कोई आवेदन नहीं किया जाता है, तो मृतक-प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा समाप्त नहीं किया जाएगा और इसके बावजूद निर्णय सुनाया जाएगा। मृत्यु और उसका वही बल और प्रभाव होगा जैसे कि मृत्यु होने से पहले उसका उच्चारण किया गया हो। ऐसा होने पर, कमी का सवाल ही नहीं उठता और कानूनी प्रतिनिधि किसी भी समय रिकॉर्ड पर लाने के हकदार थे।

(3) नतीजतन, यह याचिका सफल होती है; विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया है और कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए आवेदन की अनुमति दी गई है। चूंकि इस न्यायालय द्वारा प्रस्ताव की सुनवाई के समय आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी, इसलिए पक्षों को 4 सितंबर, 1989 को ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

(4) चूंकि मुकदमा वर्ष 1985 में दायर किया गया था, इसलिए यह निर्देशित किया जाता है कि पक्षकार अपनी गवाही अपनी जिम्मेदारी पर देंगे, जिसके लिए प्रत्येक पक्ष को एक अवसर दिया जाएगा। हालाँकि, यदि चाहें तो दस्ती सम्मन दिया जा सकता है, जैसा कि आदेश 16, नियम 7-ए, सी.पी.सी. के तहत विचार किया गया है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पारस चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा